

**सिविल जज सीनियर डिवीजन, त्वरित न्यायालय
गाजियाबाद**

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

सिविल जज सीनियर डिवीजन, त्वरित न्यायालय गाजियाबाद
वाद सं०-1188/2017

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, हापुड रोड गाजियाबाद द्वारा
श्री दीनानाथ, अनुसचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद ।

.....वादी

बनाम

1. संजय राज सूब्बा पुत्र श्री डी०बी० सूब्बा, निवासी-डिफेन्स कालोनी,
मुरादनगर गाजियाबाद ।
2. श्रीमति रेनू गोयल पत्नी श्री अनुराग गोयल, निवासी-एस०सी०-142,
शास्त्रीनगर, गाजियाबाद ।

.....प्रतिवादीगण

चूंकि ऊपर नामांकित वादी ने इस न्यायालय में विक्रय विलेख निरस्तीकरण हेतु वाद
योजित किया है अतएवं आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उस आवेदन के खिलाफ
हेतु संदर्शित करने के लिये बतारीख 11.09.2019 बवक्त 10 बजे दिन में स्वयं या सम्पक
अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपसंजाता हो और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त
आवेदन एकपक्षीय सुना जायेगा और आवधारित किया जायेगा ।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर सहित आज बतारीख 14.08.2019 को जारी किया
गया है ।

आदेशानुसार

मुसरिम / रीडर

न्यायालय त्वरित सिविल जज (सी०डि०)
गाजियाबाद